संख्या–157 / सेक–2–पांच–14–7(255) / 13

प्रेषक,

प्रवीर कुमार ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2014**

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के चिकित्सालयों के बाह्य एवं अन्तः रोगी विभाग में रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जबकि उसके सापेक्ष चिकित्सकों विशेष कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने के कारण गरीब जनता को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा सुलभ कराये जाने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं।

2– उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यन्त कमी को देखते हुए प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन पर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए अपनायी जाने वाली चयन प्रकिया एवं पुनर्योजन पर नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

अ. पुनर्योजन पर नियुक्ति की प्रकिया

(1) प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सक का पुनर्योजन एक समिति गठित कर किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगाः–

(क) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें – अध्यक्ष

(ख) निदेशक(चिकित्सा उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें – सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित एक विशेष सचिव– सदस्य

(2) उपरोक्त समिति द्वारा फिलहाल एक वर्ष के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पुनर्योजन पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेंगी। उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों का पुनर्योजन किये जाने हेतु 1000 निःसंवर्गीय पदों का सृजन किया जाता है। सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का पुनर्योजन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15.12.1983 सपठित शासनादेश दिनांक 25.11.1988 एवं शासनादेश दिनांक 27.09.1997 में दी गयी शर्तों के अधीन, नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए किया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि वर्षानुवर्ष गुण–दोष एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर 65 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के नियमित चयन के उपरान्त, उपर्युक्तानुसार सृजित निःसंवर्गीय पद

स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा संबंधित चिकित्सक की पुनर्नियुक्ति भी स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह पुनर्योजन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में सभी अधिकार उपरोक्त समिति में निहित होंगे।

(3) सम्बन्धित सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सक को पुनर्योजन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा सेवा काल में प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता पर विचार किया जायेगा तथा उक्त समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक की सामान्य ख्याति अच्छी हो तथा उनके द्वारा अपने सेवाकाल में उत्कृष्ट सेवायें प्रदान की गयी हों।

ब. पुनर्योजन के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन के पदों का निर्धारण जनपदवार/विशेषज्ञतावार महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा परन्तु पुनर्योजन के कुल पदों की संख्या–1000 से अधिक नही होंगी। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार जनपदवार/विशेषज्ञतावार रिक्तियों की सूचना तैयार करेंगे एवं उन रिक्तियों को व्यापक परिचालन वाले कम से कम 01 अंग्रेजी व 02 हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेंगे।

(3) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।

(4) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो से अधिक न हो। पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(5) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(6) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(7) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(8) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(9) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट

प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

3— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—यू0ओ0—जी—3—28/दस—14, दिनांक 13.01.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या—157(1)/सेक—2—पॉच—14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला/पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. वित्त(सामान्य)अनुभाग—1/2/3 ।
10. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3।
11. वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग—1/ 2 ।
12. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
13. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटाशंकर त्रिपाठी)
अनुसचिव।